

121



न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प.क्र. II पुनर्स्थापन दत्तिया भू.रा. 2017/1980

राजस्व कलम, कलम  
प्राप्त दि. 30.6.17  
न  
30.6.17

1. रतीराम फोट द्वारा वैद्य वारिस हरीमोहन सुरेन्द्र सिंह , जाहर सिंह पुत्रगण रतीराम निवासी ग्राम गौदन तह. भाण्डेर जिला दत्तिया
  2. राजासिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम गौदन तह. भाण्डेर जिला दत्तिया म.प्र.
- आवेदकगण

विरुद्ध

1. हुकम सिंह पुत्र धान सिंह निवासी ग्राम गौदन तह. भाण्डेर जिला दत्तिया
2. म. प्र. शासन --- अन आवेदकगण

पुनर्स्थापन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 म.प्र.भू.रा.स.

श्रीमान जी ,

निवेदन निम्न प्रकार है:-

1. यह कि, उक्त प्रकरण श्रीमान के समक्ष दिनांक 3.11.16 को कार्यवाही हेतु नियत था किन्तु माननीय पीठासीन सदस्य द्वारा मेरे अधिवक्ता को पुकार ना लगाकर मनमाने तरीके से प्रकरण खारिज कर दिया
2. यह कि, हम आवेदकगणों को प्रकरण में कार्यवाही की जानकारी नहीं थी इस कारणा दिनांक 18.4.17 को ग्राम में चर्चा के दौरान हमको पता चला तब हम दिनांक 19.4.17 को माननीय राजस्व मण्डल गये तथा अपने अधिवक्ता की तलाश कर विवादित आदेश की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 24.6.17 को नकल प्राप्त होने पर पुनर्स्थापन आवेदन पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत है ।

अतः निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर

प्रकरण में दि. 3.11.16 की कार्यवाही निरस्त कर प्रकरण को गुणदोषी पर निराकृत करने की कृपा करे ।  
दिनांक 30.6.17


Handwritten signature

Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. II | पुणे | दिनांक | 2017 | 1980 ..... जिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/8/18	<p>आवेदक समितियों- राम सेवक राम  उप- इमडे एल अग्रवाल विभा  के कि दिनांक 3/11/16 के समितियों की अग्र  में पुणे समाप्त विभा समाप्त इम!  व्यापक व्यवहारे विवेक विभा  2- आवेदक समिति का अग्रवाल- लोकल  विभा जाता है 5030 H-1028 सी07  इम! माल व्यवहार जाने का आदेश  विभा जाता है 26 222) विभा  विभा जाता है  सदस्य</p>	